

[श्री ब्रजलक्ष्ण तिवारी]

समय घटी जिसके के परिणाम-स्वरूप कार्यवाही एक घंटे तक के लिए रोकनी पड़ी। कांग्रेस (भा.द.) तथा श्रीमती इंदिरा गांधी के समर्थक न्यायालय में घुस कर इंदिरा गांधी एवं संजय गांधी के समर्थन में नारे लगाकर न्यायालय के काम में हस्तक्षेप करने लगे। साथ ही न्यायालय के बाहर उसी मुकदमे से संबंधित एक गवाह के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया और उसे भ्रान्तिकल करने का प्रयास किया। इस प्रकार की घटनाएँ जब घटे तो तीन प्रश्न सरकार के सामने आते हैं कि सरकार ने उम समय उचित व्यवस्था क्यों नहीं की और यदि आगे भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई तो न्यायालय का काम किस प्रकार सुचारू रूप से चल सकेगा? इन घटनाओं का असर जन-मानस पर यह होता है कि कुछ लोग न्यायालय में शक्ति प्रदर्शन द्वारा न्यायालय से अपने को उच्चतर प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं और सरकार जब उन के कुत्सित प्रयत्नों को रोकने में सक्षम नहीं होती तो सम्भव है कि न्यायालय अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठाता से सम्पादित करने में सक्षम न हो सके। इसलिए सरकार को इस संबंध में शीघ्रातिशीघ्र उचित और प्रभावकारी कार्यवाही करनी चाहिए।

13. 32 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1978-79—
contd.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND
IRRIGATION—contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we revert to the Discussion and Voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Agriculture and Irrigation.

SHRI B. P. KADAM (Kanara): Sir, I had stated yesterday that agricultural production is the basis for all-round development of the country, as is envisaged in the western countries. I had also stated yesterday that the present Janata Government has absolutely no faith in the implementa-

tion of land reforms and all that they have been saying for land reforms is just paying lip sympathy. The minute the Janata Party got its majority here in Delhi, last March 1977, all the landlords throughout the country, including States where land reforms have been implemented, like Karnataka and others, were openly and violently stating that they would seize their land from the tenants, that they would collect rent and they would kick out the ryots. And that is exactly what has taken place.

During the Governor's Rule there in Karnataka, the Opposition which was always so vociferous against the implementation of land reforms, as clearly indicated when the Land Reforms Bill was on the anvil of the House, they again carried forward their agitation to see that the implementation was throttled. They prevailed upon the Government of India and prevailed upon the Governor to see that, from the Land Tribunals which were constituted by including public representatives having faith in land reforms and who were very keen to help the weaker sections, were deleted by an Ordinance by the Governor in spite of the clear warning given by the Chief Minister when the Government was dislodged. And what happened afterwards? The Governor had to eat humble pie and, crestfallen, he had to give a go-by to all that he had envisaged and all that he had in mind—even the idea of amending the Land Reforms Act itself by an Ordinance.

Sir, even in regard to the Cooperative Statutory Laws there were certain representatives who represented vested interests. The weaker sections like the Harijans, Tribals and the minorities could not get representation and the benefit of the cooperative system could not go to them. Some nominations to these institutions were there, made by the Government, but they also were nullified by the Governor. I had stated yesterday that the report of the National Commission on Agriculture is a valuable report and I had also

paid my tribute and expressed praise for those who have been responsible for drafting it.

Now, I want to make a few points. Firstly, necessary efforts should be made to develop better strains of seeds which should be disease resistant, early maturing and rich in protein. For this, I have to express my appreciation for the scientists of the Indian Council of Agricultural Research. Formerly, we had paddy seeds, which would mature in 150 days; now we have seeds which would mature within ninety to hundred days. We should have high-yielding varieties, which would be non-lodging with more tillers, better and long ears and with a very high percentage of protein. This should be developed in other varieties like pulses etc. We should lay greater stress on developing better seeds of paddy, because compared to other countries of Europe, or Japan or Asian countries, our yield in paddy per acre is far less. It is necessary that we should double our production. This is possible if proper guidance, proper inputs and weedicides are given. In my constituency, in North Kanara in Malnad, I have seen a poor farmer producing 45 quintals of paddy in one acre of land. This is not the best cultivation, because elsewhere the production per acre has been 55 quintals of paddy or even more than that. In my former Assembly constituency, this farmer produced 45 quintals of paddy with 30 or 40 kilos of fertilizers and using very high percentage of green leaf manure and farm-yard manure.

Now, the Agricultural report envisages food-grain production of 230 million tonnes at the turn of the century, i.e. in 2000 A.D. This is a very good target; but I think, it can be even more. The same report envisages 193 million tonnes of foodgrains in 1985. That, of course, is very good, but with all these high expectations, we must bear in mind that India has a very high rate of growth in population. Each year, our population increases by 1.5 crores, outstripping even Australia's entire population. After independence our

population has shot up by nearly 35 crores, which is as high as the population of entire Europe minus, of course, Soviet Russia. This is a factor which has to be reckoned with. The other day, our Health Minister was giving sermons—he did it last year also—that Brahmcharya and all that is good. I would like to caution that while envisaging all these targets, it is necessary to have a proper and practical insight and take practical steps to control the population, without which the whole economy will be completely in disarray and we would be completely thrown out of gear.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now; you have taken more than fifteen minutes. I was asked to give ten minutes to each of your speakers.

SHRI B. P. KADAM: I will make a few points and then conclude. I am very proud of the achievements of the Indian Council of Agricultural Research. There should be no disturbance; there should be no interference in their work. At the same time, the grievances of the young scientists must be looked into promptly. It was really very disheartening—in fact, very much agitating—to see some of the young scientists committing suicide. A thorough probe in those things is necessary. A sense of confidence must be generated in these young scientists. The entire ICAR must be made a vigorous body. A lot of stress is necessary for developing vegetable fruits, banana, pine apple, spices like nutmeg, jayaphul, clove coco and for this vast scope exists in the Malnad area, in the tropical areas including Karnataka.

Coconut cultivation is a very important thing. We are standing third in the whole world. Kerala and Karnataka are the leading States. But, unfortunately, there is a disease which is known as root wilt disease—in Kerala. In our area, there is also a pest known black headed betel, it destroys the leaves of the coconut trees. This has to be eradicated.

[Shri B. P. Kadam]

I very much feel that weaker sections must be helped to get fertilizers and insecticides at cheaper rates. This is necessary because the weaker sections cannot come up. Their per acre yield of food grains will not be raised unless they are helped in these matters. At the same time it is necessary to plant more green leaves manure trees like Glarecidia which are rich in nitrogen.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I allowed you for two minutes only.

SHRI B. P. KADAM: I will speak only two sentences.

About fisheries a lot of work has to be done. Deep sea fishing trawlers are disturbing the poor fishermen near the shores. The poor fishermen catching fish near the shore must be given protection. This has created unrest in Karnataka, in Goa and even in Madras. Therefore, that has to be done.

What is more necessary is to see that soil erosion is prevented. This is a menace in Kerala and Karnataka. This is quite necessary.

Fishery roads must be given top priority. Without this fishery cannot be developed, as the export of fish catch is difficult.

श्री रघुनाथ सिंह शर्मा (मैनपुरी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले आपके धन्यवाद देता हूँ—आप ने मुझे आज, कृषि और सिंचाई मंत्रालय की मांगों पर बोलने का अवसर दिया। मैं इन मांगों का समर्थन करने के लिए बड़ा हुआ हूँ।

मैं माननीय कृषि मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ—उन्होंने इस वर्ष खेती की सिंचाई और देहातों के लिए बजट का 40 परसेंट वृद्धि रखा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहां के निवासियों का मुख्य धंधा खेती है और खेती से सम्बन्धित दूसरे उद्योग बंधे हैं। हमारे देश की खेती वर्षा के ऊपर आधारित है। आज भी हम सभी सरकारी और प्राइवेट साधनों से देश की 25-30

परसेंट खेती में सिंचाई की व्यवस्था कर सके हैं। इसी कारण आज भी हमारे देश के किसानों को वर्षा के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। भारत की खेती की व्यवस्था सही ढंग से नहीं है।

हमारे देश में सिंचाई के साधन बहुत हैं। वर्षा ऋतु में हमारे यहां बहुत पानी बरसता है, लेकिन वह नदियों के द्वारा बहता हुआ चला जाता है। हमारे देश के इंजीनियर्स और सरकार उन प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहां सिंचाई के मुख्य साधन नदियां, नहरें, ट्यूब-वेल्ल और कुएं और तालाब हैं, जिनके द्वारा लोग सिंचाई करते हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सिर्फ पश्चिमी जिलों में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन पूर्वी जिलों की स्थिति बहुत खराब है। खास तौर से बुन्देलखंड में सिंचाई का कोई प्रयत्न प्रबन्ध नहीं है। यहां पर सिंचाई के लिए छोटे-छोटे डेम बनाने चाहिये, जिनसे बुन्देलखंड की जमीन को पानी दिया जा सके। यहां पर अनेक नदियां हैं—जम्बल, बेतवा, केन—जिनमें काफी पानी बहता है। इन नदियों के पानी को लिफ्ट के जरिये उठाया जा सकता है और खेती की सिंचाई की जा सकती है। यहां पर क्षत्त भी सूखी खेती होती है पानी पानी नहीं लगाया जाता है और हमारे राज्य मंत्री जी को मान्यवर हैं क्योंकि वे उत्तर प्रदेश से हैं कि बुन्देलखंड में सिंचाई की व्यवस्था आज न के बराबर है और यहां पर सूखी खेती होती है।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि सिंचाई विभाग ने एक इरिगेशन कमीशन बँटाया था और उसने सिंचाई के रेट्स बहुत बढ़ा दिये थे। सन् 1972 में इस इरिगेशन कमीशन ने रिपोर्ट दी और सिंचाई के रेट्स बढ़ा दिये गये परन्तु फिर भी सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी है। उन्होंने सरकार से सबसिडी की मांग की है। मेरा सुझाव यह है कि किसानों के लिए सिंचाई के रेट्स न बढ़ाये जायें और जो सरकारी साधन

हैं उनका समुपयोग हो। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि सरकारी ट्यूबवैल्स पर और नहरों पर जहाँ कच्चा पक्का काम होता है, वह बहुत ही बटिया किस्म का काम होता है क्योंकि ठेकेदारों से इंजीनियर, एकजीन्यूटिव इंजीनियर, एस० बी० प्रो० और जूनियर इंजीनियर पैसा ले लेते हैं और वहाँ पर जो पैसा उस काम के लिए दिया जाता है, उसका सही उपयोग नहीं होता है। इसलिए किसानों की जो समस्या है, उसका हल नहीं होता है। मेरा यह सुझाव है कि सिंचाई के लिए पूरे देश का सर्वे कराना चाहिए, बरसाती पानी और जमीन के अन्दर के पानी का पता चल सके और पानी किसानों को दिया जा सके।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे जिले में प्राइवेट ट्यूबवैल्स बने हैं लेकिन ऊपर के स्ट्रेटा का पानी समाप्त हो गया है और गांव वालों को पीने के लिये पानी नहीं मिलता है। मैनपुरी जिले में अरांच ब्लाक बेजुधा कच्चासपैवू और जसरोना ब्लाक में पानी की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है क्योंकि जो कुएँ हैं, उनका पानी सूख जाता है और लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। मेरा सुझाव यह है कि इसके लिए सरकार को डीप बोरिंग करवायी होनी चाहिए और प्राइवेट किसानों के लिए भी ऐसा करना होना, ताकि वहाँ पर ग्राम लोगों को पीने का पानी मिलेगा रहे। जब तक सिंचाई के लिए पानी की पूर्ण व्यवस्था नहीं होगी, खेती में तरकी नहीं हो सकती है और अच्छी फसल बिना पानी के नहीं हो सकती है। पानी अमूल्य है। कोई भी जीवधारी पशु, पेड़, पौधे बिना पानी के उदास दिन नहीं चक सकते हैं। अतः कृषि की सिंचाई की सुनिश्चित एवं समुचित व्यवस्था करनी होगी तभी देश तरकी कर पायेगा। मेरे जिले में बार-बार भियाँ हैं, काली नदी, ईसन नदी, अरिखवी,

सेंगर, सिरसा और बमुना। इन पर छोटे छोटे बांध बना कर पानी दिया जा सकता है और यू० पी० में मैनपुरी सब से अधिक ऊँच है उसको कृषि योग्य बना कर किसानों को दिया जाये। पूरे उत्तर प्रदेश में जो स्वायत्त इरोजन हो रहा है, भूमि का कटाव हो रहा है, उस समस्या से भी निपटा जा सकता है। इससे सिंचाई की समस्या भी हल हो जायगी।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे जो किसान हैं उनको उनकी पैदावार का सही मूल्य नहीं मिलता है। आपने देखा कि गन्ने की क्या हालत हो रही है। यू० पी० सरकार ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए 13.15 रुपये और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए शायद 12.50 रु० गन्ने के दाम तय किये हैं और कन्नार के लिए 9.50 रु० किये हैं, जो कि बहुत कम हैं। इस बार गन्ने की पिराई बहुत कम हुई है। मिल और कन्नार एक महीना लेट चले थे और 21 फरवरी से 28 फरवरी तक बन्द रहे। इससे गन्ने के किसानों के सामने एक बहुत ही बिकट समस्या बड़ी हो गई है। मंत्री जी ने बहुत कोशिश की है। जिससे किसानों को कुछ राहत मिली और कुछ राहत मिली भी है लेकिन मेरा सुझाव यह है कि गन्ने को मंत्री जी पूरी तरह के पिरवाये और उसके पिरवाये की व्यवस्था करें जिससे किसानों को अपने-जन्मे में आब ब बरानी पड़े। मैं यह भी बता दूँ कि जहाँ पर गन्ने की पैदावार होती है, वहाँ पर मंत्री जी किसानों की नाराजगी की वजह से जी नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आब भी नाराजनाया जाता है "बना छः परती भी"। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहता क्योंकि विरोधी पक्ष ने इसका दुष्प्रयोग किया है।

गन्ने के साथ-साथ गेहूँ की कीमत का भी सवाल है। माननीय मंत्री जी ने इसकी कीमत एक से साढ़े बारह रुपये प्रति क्विंटल फिक्स की है पानी सिर्फ डार्ड रुपये बढ़ाई गई है जो कि न के बराबर है जब कि धातको मासूम है कि किसान का लागत मूल्य 120 रुपये और

[श्री रघुनाथ सिंह वर्मा]

125 रुपये तक घाता है और इसके बारे में चाहे प्रायः पंत नगर का ले ले, या पूसा इंस्टीट्यूट का ले ले और चाहे ब्राज्जद कृषि विश्व-विद्यालय कानपुर का ले ले। उसको देखकर ही कृषि मूल्य आयोग की मिफारिमें मान ली गई है। कृषि मूल्य आयोग के बारे में मेरा सुझाव है कि इसको समाप्त कर दिया जाये, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी भी हालत में यह समाप्त न किया जा सके तो उसमें किसानों के भी प्रतिनिधित्व रहे। कृषि मूल्य आयोग में किसानों के प्रतिनिधि न होने से उनके द्वारा सही मूल्य तय नहीं किये जाते हैं। इससे किसानों की रीढ़ की हड्डी टूट रही है और दिन-प्रति-दिन किसान कर्जदार होता जा रहा है। अगर प्रायः सब करायें तो पायेंगे कि किसान बहुत कर्जदार है। कितने ही बैंकों से वह कर्जा लेकर कर्जदार बने हुए है। यहां पर लोग यह समझते हैं कि किसानों की माली हालत अच्छी हो गई है जो कि गलत बात है। किसानों की सभी भूमि विकास बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों के यहां गिरवी रखी हुई है।

गेहूँ के साथ साथ चने और चावल का भी मूल्य निश्चित किया जाना चाहिए। मेरे जिले मैनपुरी में भालू बहुत पैदा होता है। श्रीमन् भोज हालत यह है कि वस रुपये मन में भी कोई भालू खरीदने को तैयार नहीं है। यहां कोल्ड स्टोरेजों की बहुत कमी है। मेरा कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि वे अधिक से अधिक कोल्ड स्टोरेजों की व्यवस्था करें जिससे कि भालू जैसी साग सब्जी सुरक्षित रह सके। साथ ही भालू का विदेशों को निर्यात भी किया जाए जैसा कि पिछली बार निर्धारित किया गया था। तभी देश की हालत अच्छी होगी और भालू बोनो वाले किसानों की हालत अच्छी होगी।

भारत की 80 प्रतिशत जनता देहातों में रहती है। अगर उस जनता की हालत सुधर जाएगी तो हमारे देश की हालत भी स्वयं ही

सुधर जाएगी। इसलिए किसान की हालत सुधारनी होगी।

इसके साथ साथ मैं मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने डेयरी उद्योग के लिए पांच सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे भी किसानों की तरक्की होगी। जब तक किसानों के लिए सहायक और खेती से मिलते जुलते धन्ये नहीं चलायेंगे तब तक किसानों की हालत नहीं सुधर सकती है। डेयरी उद्योग को किसान अच्छी तरह से चला सकते हैं और इससे बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। मैं चाहूंगा कि इस उद्योग के साथ साथ पोल्ट्री फार्मिंग और मछली पालन जैसे उद्योगों का भी विस्तार किया जाना चाहिए। लोक सभा की कृषि सलाहकार समिति बंगाल गयी थी। वहां पर जो सेंट्रल फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके डायरेक्टर ने हमें बताया था कि एक एकड़ के तालाब में साल भर में दस हजार रुपये की मछलियां पैदा हो जाती हैं। हमारे देश में प्राकृतिक साधन बहुत हैं। हमारे यहां बारिश भी बहुत होती है और इसके कारण पानी भी बहुत है। हमारे नौजवान और किसान भाई मछली पालन का धंधा भी अच्छी तरह से कर सकते हैं और अपनी प्राय के साधन बढ़ा सकते हैं।

मान्यवर, होटिकल्चर की तरफ हमारी सरकार का ध्यान बहुत कम है। सरकार को बागवानी की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर देश में पेड़ पीछे अधिक होंगे तो वर्षा भी अधिक होगी। पेड़ अधिक लगाने से फोरेस्टेशन होगा और देश हरा भरा और खुशहाल रहेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए और बागवानी की देश में काफी तरक्की होनी चाहिए। बागों के लगने से फल, लकड़ी दोनों ही वस्तुओं की बहुतायत हो जायेगी।

कृषि मूल्य आयोग के सम्बन्ध में मेरा दूसरा सुझाव यह है कि सरकार खेती की

फसल बोन से पूर्व ही कृषि की पैदावार का मूल्य डिक्लेअर करे। जिससे किसान नुकसान-दायक फसल को नहीं बोयेगा। किसान मूल्यों को देख कर ही खेत में लागत-खर्च के मूलाधिक फसल बोयेंगे। इससे किसान को नुकसान से बचाया जा सकता है। इसलिए मंत्री जी इस तरफ भी ध्यान दें और किसान को नुकसान से बचायें। मेरा सुझाव है कि वर्षा जैसे शुरू होती उसी समय गेहूँ, चावल गन्ना,चना, मटर आदि फसलों के दाम डिक्लेअर कर दिये जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, वालों का अभी तक बीज नहीं मिल पाया है। मैं 14 अप्रैल को पूसा इस्टीमेट गया था। वहाँ पर 10-12 किसान बैठे हुए थे। गर्मी की मूंग और उड़द का बीज न जिले में मिल रहा है और न कहीं और मिल रहा है। इस बीज की बहुत कमी है। अब जब कि किसान में बेतना और जागृति आई है, वालों को बोन के लिए वह तैयार है तो हमारे पास बीज नहीं है। इसके साथ साथ उर्बरेकों की हालत भी बहुत खराब है। पिछले वर्ष नवम्बर महीने में जब गेहूँ बोया जा रहा था तो पूरे जिले में डी०ए०पी० फटिलाइजर नहीं मिला। मैं जिला नियोजन अधिकारी महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया तो उन्होंने बताया कि डी०ए०पी० फटिलाइजर पानी के अभाव में बन्दरगाह पर उतर रहा है। मेरा सुझाव है कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि फटिलाइजर की जितनी किसान को आवश्यकता हो, वह शुरू में ही सरकार स्टॉक करके रख ले और सही समय पर वितरण करा दे, उसे दिया जा सके। इससे उने फसल बोन में सहूलियत होगी और देश में अन्न का उत्पादन भी अधिक होगा।

मान्यवर, देहातों में नेशनल सीड कारपोरेशन के बीज बहुत महंगे मिलते हैं और उनकी कमी भी बहुत है। मेरा सुझाव है कि ये बीज छोटे-छोटे किसानों को दिये जायें जिससे वे इनसे फायदा उठा सकें।

एक मेरा निवेदन यह है कि देहात में भाने जाने के साथ ही बहुत कम हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्री समितियों द्वारा सड़कें बनायी जा रही हैं। इसी तरह से सभी प्रदेशों में मण्डियों की तरफ से सड़कें बनायी जायें जिससे कि किसान अपनी पैदावार को बाजार में ला सकें और उचित मूल्य पर बेच सकें।

फूड कारपोरेशन आफ इंडिया इसी महीने क्रय केन्द्र खोलने जा रहा है। एफ०सी०आई० के कर्मचारियों से किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। चार-चार दिन तक किसानों को खड़ा होना पड़ता है। मैं पिछले साल की जानकारी के आधार पर यह कह रहा हूँ। वैसे ही इस साल भी न हो, इसके लिए कृषि मंत्री जी ध्यान रखें। इन क्रय केन्द्रों के द्वारा किसानों को उनके गल्ले की पेमेंट उसी दिन होनी चाहिए जिस दिन वे गल्ला लाएं। सरकार यह भी देखे कि इन कर्मचारियों के कारण कहीं किसान को गल्ला बिचौलियों को न बेचना पड़े। इन बिचौलियों से किसान को बचाने के लिए सरकार विशेष व्यवस्था करे और यह भी देखे कि किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले और वह फायदा उठा सके।

मैं फसल बीमे के लिए कहना चाहता हूँ कि यह निश्चित रूप से होना चाहिए। मान्यवर, मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे इसका मजबूती में समर्थन करें। आजकल किसान की फसल की कोई सुरक्षा नहीं है। हम रोख अखाबारों में पढ़ते हैं कि कहीं फसल अलों से नष्ट हो जाती है तो कहीं गल्ला जल गया है, नष्ट हो गया है। इसलिए फसल के बीमे की स्कीम सरकार को निश्चित रूप से घोषित करनी चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार को इसकी घोषणा करने में क्या परेशानी हो रही है? हमारे किसानों का करोड़ों और लाखों रुपये का गल्ला नष्ट हो जाता है और बर्बाद हो जाता है। मेरे क्षेत्र में शमशेरगंज, हुसैनपुर, मुढौली, जवा-पुर, प्रतापपुर, नारायणपुर और जासमई गांवों

[श्री रघुनाथ सिंह वर्मा]

में इस वर्ष थोला पड़ा है। पिछले साल भी पड़ा था जिससे किसान की फसल बरबाद हो गई और वह बरबाद हो गया है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार और प्रदेश सरकार को भी इन क्षेत्रों को विशेष सहायता और राहत देनी चाहिए।

मान्यवर, मेरे पास कहने को तो बहुत है लेकिन अब बूक समय नहीं है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देकर अपना भाषण समाप्त करता हूँ। ✓

SHRI DAJIBA DESAI (Kolhapur):
Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to express my observation on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Agriculture and Irrigation. At the outset, I would like to express my happiness that several hon. Members from all parties have strongly supported the move for remunerative price for the agriculturists. The Peasants and Workers Party, to which I belong, had started an agitation in 1948 for the remunerative price and it is still continuing as we have not achieved the target of remunerative prices to the agriculturists. The report for the year 1977-78 of the Ministry of Agriculture and Irrigation states like this:

"System of Procurement: 6.1.

The following systems of procurement were adopted by the different State Governments in addition to price support operations:

(i) Monopoly purchase;

(ii) Graded levy on producers and levy with reference to land revenue payable by producer on his total land holdings and with certain weightage for irrigated land;

(iii) Levy on millers/dealers."

13.59 hrs.

[SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN in the Chair].

Actually the principle of support price has been used to have free

market. For the last thirty years the Congress regime has advocated support-price policy; the Janata government has come with the same policy. In the election manifesto of the Janata Party, they say that the remunerative procurement price must be seen as an essential element in increasing agricultural production and stabilisation of prices. I want to request the hon. Minister to examine this issue. The Agricultural Price Commission, APC, was appointed in 1965 and its terms of reference were:

"The need to provide incentive to the producer for adopting improved technology and for maximising production;

the need to ensure rational utilisation of land and other production resources;

the likely effect of the price policy on the rest of the economy, particularly on the cost of living, level of wages, industrial cost structure, etc."

14.00 hrs.

May I draw the attention of the hon. Minister to these terms of reference and ask him whether his policy or the terms of reference are favourable to the cultivator, consumer or the trader.

Experience since 1965 shows that the price support policy as enunciated by the terms of reference of APC has been favourable to the traders only because the traders or the millers had been allowed to purchase grains from cultivators. Government takes part of the miller's purchases and makes a buffer stock or whatever it is and the rest is with the trader. The traders can sell their stock in free market and get better margins. What has been the experience in the last 18 years? Traders in this country are having bumper profits at the cost of the cultivator and the consumer. This point has to be examined. This is the result of the terms of reference of the APC. APC

has been given the task of seeing the effect on the economy, particularly the cost of living, level of wages and industrial cost structure; it has to depend on those things. That means that the industrialist shall not be required to pay more wages to the labourers and the consumers, poorer sections of the people will get some stocks from the fair price shops and the government has been consistently taking the view that it is the responsibility of the state or the central government to supply some of the stocks to the needy people. This policy of the APC, the terms of reference to APC are not consistent with the proclamations that the policy of the agricultural department is to favour agriculturist. On the contrary I may say that it is a fraud on the agriculturist. It is fraud on the agriculturists. The Ministry of Agriculture is not helping the agriculturists, on the contrary, it is helping the traders. I will give one or two instances. The Department of Agriculture campaigns for more production.

श्री कचरलाल हेमराज जैन (बालाघाट) : सभापति महोदय, इतनी बड़ी मांग पर यहाँ चर्चा हो रही है और यहाँ पर सदस्यों की संख्या प्राप्त देख लें। आखिर जनता ने यहाँ किस लिए भेजा है लोगों को। यहाँ कोरम नहीं है और इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है, देख लीजिए क्या हाल है।

MR. CHAIRMAN: Are you commenting or are you challenging the quorum?

श्री कचरलाल हेमराज जैन : मैं प्रपना एक सजेशन बता रहा हूँ कि इतना महत्वपूर्ण विषय देश के लिए चल रहा है और यहाँ सदस्यों की संख्या का यह हाल है।

MR. CHAIRMAN: Will you please resume your seat? Mr. Desai, you may continue.

SHRI DAJIBA DESAI: I was telling that the Ministry of Agriculture

is not helping the cultivators. It is a sort of tail end of Commerce Ministry. The Agriculture Ministry is campaigning for more production. But what shall we do with the produce, that depends upon the Commerce Ministry. The Department of Agriculture looks after the production and the trading business in all agricultural commodities is looked after by the Commerce Ministry. I will give you one instance. There is a Tobacco Board and it is entrusted with the task of increasing production of tobacco. But the Commerce Ministry has stated that the production of tobacco should be restricted. Similarly, the marketing of cotton, sugarcane, jute, cashewnuts and all these agricultural commodities is looked after by the Commerce Ministry. What about cotton? There also, the Agriculture Ministry has been campaigning for more production. The same is the case with onion and a number of other agricultural commodities. The Department of Agriculture has been spending crores of rupees in campaigns and in supplying inputs to the cultivators to increase production. What the State Governments are doing is not the question here. But at the same time, the Commerce Ministry is a hindrance and obstacle to the Department of Agriculture. There is no coordination. One Ministry says: increase production and the other Ministry says: restrict production. Again, those who are interested in the work of marketing, they help the traders and not the consumers. There is a body viz., NAFED, i.e., National Agricultural Cooperative Marketing Federation, which is an institution controlled by the Commerce Ministry. The Agriculture Ministry has to request them to purchase the stocks from the agriculturists. There is a Cotton Corporation. It purchases from traders and not from cultivators. One of the Members from the Janata Party was telling the House that there is no coordination. There are a number of

[Shri Dajiba Desai]

instances where the work of Agriculture Ministry is hampered, restricted sometimes to the detriment of the agriculturists and there is no remedy to this. This should be looked into by the Agriculture Ministry and the Government. Another point is the question of cost of production.

The Government or the Agricultural Prices Commission have been saying that the prices announced year by year are remunerative, and they are relying on the data of Farm Management Studies. Once they said that they have worked out these prices on the basis of average of last three years. Then they said: "We suppose that these prices are fair prices." In the next year they said: "We suppose that these are remunerative prices." In the third year they said: "These are based on some of the studies made on the cost of production." There is a Farm Management Study Group. They have used this method. I quote:

"Cost A1: This cost approximates the actual expenditure incurred in kind and cash and it includes the following items:

- (a) hired human labour
- (b) owned and hired bullock labour
- (c) machine labour
- (d) seeds
- (e) manures and fertilisers
- (f) plant protection chemicals
- (g) depreciation on implements, machinery and farm buildings, etc.
- (h) land revenue, cess, water rates etc.
- (i) interest on working capital.

Cost A2: Cost A1 plus rental value of leased in land. This applies only for tenant operated farms.

Cost B: Cost A2 plus interest on fixed capital excluding land and rental value of owned land.

Cost C: Cost B plus imputed value of family labour.

Farm business income: It is the measure of earning of the farmer and his family for management, risk, their labour and capital investment. It is obtained by deducting cost A1/A2 from gross receipts.

Family labour income: This is what the farmer and his family receive for management, risk and their physical labour, i.e., gross income minus cost B.

Net Income (profit or loss): Gross income minus Cost C."

They have said how they have taken the bullock labour as follows:

"Net cost per work day has been worked out by dividing the net cost of maintenance by the total number of work days (farm and non-farm) during the year."

Any member having the knowledge of cultivation knows that the cultivator has to work for the whole year. Perhaps he may not actually work in the field, but he has to supervise, he has to manage the bullocks, he has to maintain machinery, and he has to do a lot of things. So his labour is calculated on whether he has actually worked in the field. Now, according to the Farm Studies, one man, if he is found to have worked for more than 50 per cent of the days, that is, the entire family working in the farm, the Department takes as only one man. There are bullocks...

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI DAJIBA DESAI: Yes, I will conclude in one minute.

The Farm Study team has calculated only the days of work for bullocks. But what about the whole year? You can use bullocks only for

5 or 6 days in the season. But at the same time you have to maintain the bullocks, you have to maintain the machinery etc. for the whole year. But that has not been calculated. The Study Team takes the actual expenditure on human labour, but at the same time the peasant has to work for the whole year and support his family for the whole year. Therefore, the cost of production is to be worked out on a realistic basis.

With these words, I would request the hon. Minister to work out the cost of production on a realistic basis, the remunerative prices which means the cost of production plus the cost of living of the family which is dependant on agriculture and 15 per cent margine. In that way we have to work out the remunerative prices. And agricultural labourers must be given reasonable wages and at the same rate you have to calculate the expenditure of the family members. On this basis the cost of production has to be worked out and the cost of production plus 15 per cent profit will give the minimum remunerative price. A mere *ad hoc* policy will not do in this matter.

श्री चन्वन सिंह (कैराना) : सभापति महोदया, मेरी काफ़ी उम्र हो गई है, 40 साल हो गये, कान पक गये, दिमाग फट गया, यह सुनते-सुनते कि हमारे मुल्क में 85 प्रतिशत कृषक और कृषि मजदूर हैं। इनके भले की बातें तब सुनते हैं, जब हम लोग इलैक्शन में खड़े होते हैं। हमारी जनता पार्टी के लिये यह मसल मगहूर है कि इतनी अच्छी कैबिनेट न तीस सालों में बनी और न आगे बन सकेगी। ऐसी चर्चा भी है कि मेम्बर्स भी बहुत अच्छे आये हैं, शायद फिर इतने अच्छे मेम्बर्स न आ सकें। मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि हमारे दोनों मंत्री बहुत अच्छे किसान हैं, लेकिन वे लाचार हैं। लाचार इसलिए हैं कि—मैंने काफ़ी भागदौड़ की, रोज़ाना इनसे मिला और इन्होंने मुझे शान्ति भी बहुत दी।

650 LS—11.

मैं, सभापति जी, ऐसी जगह का रहने वाला हूँ जहाँ शुगर-केन रीड की हड़दी है। मेरे डिस्ट्रिक्ट में 363 बड़े और 300 छोटे सलफर के कारखाने हैं और चार बड़ी-बड़ी मिलें हैं जिनकी एक लाख टन गन्ना पेरने की कैपेसिटी है। आज भी हमारे यहाँ गन्ने के खेत लहलहा रहे हैं। आप ने तय किया कि क्रगर साढ़े नी रुपये किंटल का दाम देगा, लेकिन यह कोई नहीं देख रहा है कि वहाँ क्या दाम दिया जा रहा है। आप ने न्यूनतम भाव तो तय कर दिया, लेकिन उसकी चैकिंग भी तो होनी चाहिये कि वह यह दाम दे भी रहा है या नहीं।

आज मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोग गाना गाते फिर रहे हैं—जनता पार्टी ने ऐसा दुख दिया, पला-पलाया गन्ना पानी के भाव बहा दिया। पानी के भाव पर भी बिकना मुश्किल हो रहा है। जिस तरह से गंदा पानी नाले में बहता है, उसी तरह हमारे यहाँ बह रहा है। साढ़े तीन रुपये या चार रुपये में भी कोई लेने वाला नहीं है। मुझे तो यह डर भी है कि ज्यों-ज्यों गर्मी पड़ेगी, क्रगर वाले कहने लगेंगे कि अब इसमें शीरे की मात्रा ज्यादा हो गई है, अब हम इसको नहीं पेरेंगे। आज भी 50 प्रतिशत गन्ना खेतों में खड़ा है, उसका क्या होगा? क्रगर जलाया जायगा, तो फिर उस जगह पर खेती भी नहीं हो सकेगी, क्योंकि उसको वहाँ से निकाल भी नहीं सकेंगे।

कृषि की भलाई की बातें तो बहुत की जाती हैं, यह करेंगे, वह करेंगे, भूमि सुधार करेंगे, उस भूमि सुधार से क्या होगा, जब खेती ही बिगड़ रही है। आज जिसके पल्ले खेती की जमीन है, उसका सत्यानाश यह सरकार कर रही है—यह बात मुझे बड़े दुख, के साथ कहनी पड़ रही है। सभापति जी जब यह निर्णय हुआ कि एक्सपोर्ट किया जायेगा, तो मैं कामर्स विभाग में गया, अटल जी के पास गया, 24 घंटे में 10 बिजनेस-मैनों के पासपोर्ट बनवाये, ताकि हवा में कुछ गर्मी आये। जब पाकिस्तान एम्बेसी में जाकर बात

[श्री चन्दन सिंह]

की तो मालूम हुआ कि गुह तो उनके एसीमेंट में ही नहीं है, इसलिये वहां नहीं भेजा जा सकता। जब नेपाल की बात आई—तो मालूम हुआ कि वहां भी एक सीमा निर्धारित है कि 4 हजार टन जायेगा, लेकिन उसमें भी एक प्रतिबन्ध है। वहां पर एक बैक-पोस्ट हमारी पुलिस की है, दूसरी कस्टम की है। कस्टम में अण्डर-ग्राउण्ड यह तय है कि ले जाने वाला पहले कस्टम में एस्ट्री करायेगा कि इतना ले जाना चाहता हूँ। कस्टम वाला अगर परमिट करेगा, तब ले जा सकेगा, वरना वह बेचारा वहीं खड़ा रहेगा। कोई पुरसा-हाल नहीं है। किस कदर तवाही आई हुई है कि क्या नहीं कर सकता हूँ।

हमेशा अक्टूबर के आखिर तक फेब्रुअरी चालू हो जाया करती थीं, इस दफा दिसम्बर में चल पाई, मुबकने-मुबकने जनवरी तक चलीं। आप बतलाइये—ऐसी नीति का क्या फायदा है।

कहा जाता है कि उत्पादन बढ़ाने के लिये साइन्टिस्ट्स की जरूरत है। उत्पादन बढ़ाने का काम तो किसान का है, इनको तो यह चाहिये अच्छा बीज दें, फर्टिलाइजर अच्छा दें और उसे टेस्ट करें। मैंने, सभापति जी, साइन्टिस्ट्स देखे हैं जो गमलों पर काम करते हैं, खेत में नहीं जाते। जरा जून के महीने में खेतों में जा कर देखें। लेकिन जून में तो हम काम करते हैं, जनवरी की आधी रात को हम काम करते हैं। भरी दोंपहरी में जब 12 बजते हैं, साइन्टिस्ट तो घड़ी देख कर बतलायेगा, लेकिन किसान बिना घड़ी देखे बतला देगा कि 12 बज गये हैं। हमें माइनिस्टों की जरूरत है लेकिन इस तरह के साइन्टिस्टों की जरूरत नहीं है कि पदक ले कर इस तरह की बात करें जैसा हमारे स्वामीनाथन जी ने कहा कि मैंने एक गेहूँ बनाया है जो ज्यादा पैदावार देता है। वह जरूरत से ज्यादा ऊंचा है। इस तरह के साइन्टिस्टों की हमें जरूरत नहीं है।

मैं आपको किसानों की दिक्कत बताऊँ। काश्तकार को मक्का का बीज चाहिए और उसको वह जुलाई के लास्ट वीक तक मिला जाना चाहिए लेकिन वह मिलता है अक्टूबर के लास्ट वीक में क्योंकि जब वह स्टोर पर बिकने से बच जाता है तो उसको दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि वे यह कहते हैं कि फर्टिलाइजर्स आप ले जा रहे हैं तो ये संकर मक्का के बीज हैं, ये भी चार किलो लेते जाओ। फर्टिलाइजर्स अगर वह मांगता है तो उसके पल्ले वह बची हुई मक्का भी बांध दी जाती है। कितना बड़ा पाप हमारे साथ हो रहा है। इसके अलावा जब स्टोर पर फर्टिलाइजर्स लेने जाते हैं तो चाहे वह कोमपारेटिव का स्टोर हो, स्टोर कीपर कहता है कि यह आधा कट्टा भी उठाए। जब हम उससे उसको तोल कर देने के लिए कहते हैं तो वह कहता है कि कहीं और से ले आइएगा। इस तरह से आप देखें कि हमारी चीज तो तोल कर ली जाती है और अपनी चीज वह बिना तोले हुए देता है। अगर 50 के०जी० वह देता है तो उसमें केवल 25 के०जी० ही माल होता है।

इसी तरह से पानी की बात है। अगर पानी के लिए वह अपना इन्तजाम करना चाहता है तो वे लोग कहते हैं कि स्टेट ट्यूबवेल के कमांड के नजदीक हो और 200 मीटर में हो, इसलिए हम आपको ट्यूबवेल नहीं देंगे। अब स्टेट ट्यूबवेल्स की हालत यह है कि पन्द्रह-पन्द्रह साल से वे ठप्प पड़े हुए हैं, अगर ट्यूबवेल का ट्रान्सफार्मर जल गया, तो छः महीने तक वह ठीक नहीं होता है और लोगों को वहाँ पानी की दिक्कत होती है। कमांड एरिया में जो काश्त करता है, उस पर ही रेवेन्यू लगाए। अब नहरों का जहाँ तक सवाल है, उनमें रेत पड़ी हुई है। सन 1868 की करीब-करीब सब नहरें खुदी हुई हैं और उनमें रेत इतना आ गया है कि पानी वहाँ पर काफी मिक्कदार में नहीं मिलता है लेकिन काशजों में जितना 1868 में दिखाया गया था, उतना ही दिखा दिया जाता है।

तेल और डीजल की बात में आपको बताऊँ 2 पैसे सेन्टर ने तेल के बढ़ाये हैं लेकिन यू०पी० ने 4 पैसे बढ़ा दिये। डीजल महंगा और सब चीज महंगी हैं। आपने कहा था कि मोबिल प्रायल मन्दा वेंगे लेकिन वह भी नहीं मिला। गुड़ की खरीद करने के लिए आपने कहा था लेकिन आप मुजफ्फरनगर में जा कर देखिये कि उसकी क्या हालत है। 100 मन गुड़ खरीदते हैं तो 1500 मन नहीं पड़ा रहता है। कहीं 87 रुपये में उसको खरीदते हैं और कहीं 72 रुपये में खरीदते हैं। किसी ने आज तक इस बात की चैकिंग की है। कामर्स वालों ने या किसी दूसरे विभाग ने इस बात की जांच की है कि गुड़ खरीदा जा रहा है या नहीं ?

गेहूँ की कीमत आपने 110 रुपये निर्धारित की थी लेकिन जो किसान ज्यादा बकवास करते वाले थे, वे तो 110 रुपये पा गये लेकिन जो ऐसा किसान वहाँ जाता है जिसके कपड़े फटे हों उसको कहते हैं कि तुम्हारे गेहूँ में गड़बड़ है, गेहूँ पतला है, इसमें जो हैं और मिट्टी है, उसका गेहूँ वे 85 रुपये में ही लेने हैं और शाम को इसी गेहूँ की पर्ची 110 रुपये की कट जाती है। वहीं का बेरा उठाकर वहीं चला जाता है। जब ऐसी स्थिति है, तो फिर यह चीखने की क्या जरूरत है कि हम कृषि को पनपायेंगे। कृषि की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है और तरह तरह के हम पर अत्याचार होते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ कुदरत भी हमें मारती है। अभी मैं टून में जा रहा था कि मुरादाबाद में सग पर टर टर होने लगी और पता लगा कि झोले पड़ रहे हैं। हम ने कहा कि किसान मारे गये। एक तरफ तो सरकार ही मारने वाली है और दूसरी तरफ यह मार पड़ है। भगवान का ही सहारा था और वह भी खत्म हुआ।

अभी भाई रघुनाथ सिंह जी ने कहा कि कृषकों का इन्शोरेंस होना चाहिए। फर्मों का, लकड़ी का और जूतों का इन्शोरेंस हो सकता

है लेकिन इसका इन्शोरेंस नहीं हो सकता। जो सारे मुल्क को रिजक देता है, उसका इन्शोरेंस नहीं हो सकता है। आज आप यह देखिये कि बैल 3,000 से कम का नहीं आता है और भैंस 4,000 से कम की नहीं आती है और गाय का जो ब्रीड आपने निकाला है, पहले तो मिलता ही नहीं और अगर मिलता है तो 4,000 रुपये, 5,000 रुपये का मिलता है और जब बरसात आती है तो एक किस्म का कीड़ा घास में पैदा हो जाता है जिसके खाने से जानवरों में कई किस्म की बीमारियाँ हो जाती हैं। भैंस को बरसान निकलती है और गाय में भी ऐसी खराबी आ जाती है कि जो गाय 3 महीने पहले खरीदी गई होती है और जिसका दूध तीन महीने भी नहीं पी सके हैं वह उस घास के खाने से ईश्वर को मंजूर हो जाती है। इसलिए किसान जो चीज रखता है, जो मवेशी रखता है, उनका भी इन्शोरेंस होना चाहिए। जब सब फर्मों का इन्शोरेंस हो सकता है तो उसका भी होना चाहिए। होता क्या है कि अगर कहीं कुछ हो जाता है, तो यह दिखा दिया जाता है कि चिगारी लग गई और सब कुछ जल गया और उसका पूरा कम्पेंसेशन उसको मिल जाता है इसी तरह से जब गाड़ी कुछ हिलने डुलने लगती है, तो उसकी किसी से टक्कर मार दी जाती है और पूरा इन्शोरेंस का पैसा कम्पनी से ले लिया जाता है लेकिन वह बेचारा शरीर आदमी जो जाड़े में परवरिश करता है, गर्मी में परवरिश करता है, आंधी में जंगल में खड़ा रहता है, उसको कुछ भी कम्पेंसेशन नहीं मिलता है। आपका जो मनुष्य है वह बहुत ही पुराना है। 1878 में वह बना था। उम्रमें यह कहा गया है कि पचास प्रतिशत से अधिक फसल को क्षति होगी तो कुछ छूट मिल जायेगा और अगर इससे कम हांगी तो कोई छूट नहीं दी जायेगी। अब अगर झोले पड़ जाते हैं और फसल पचास फीसदी से ज्यादा बरबाद हो जाती है और डंठल उसके खड़े रह जाते हैं तो कोई रेवेन्यू की माफी नहीं मिलती है,

[श्री जयन्त सिंह]

मवेशियों के लिए भूसा गवर्नमेंट नहीं देती है, तकावी लोन नहीं दिया जाता है, कोई सबसिडी नहीं दी जाती है, कुछ भी नहीं मिलता है। इस मैन्युअल को आप बदलें।

हमारे मंत्री लोग कितने बेबस हैं इसको भी हम देख चुके हैं। 24 दिसम्बर को इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम गुड़ का निर्यात करेंगे। दूसरे दिन बड़े मालिक इनके उठे और कहने लगे कि नहीं करेंगे। जिस दिन आपने स्टेटमेंट दिया था उसके भ्रगले दिन गुड़ का भाव चार रुपये अधिक हो गया और किसान को कुछ फायदा हो गया। लेकिन भ्रगले दिन जब बड़े मालिक का स्टेटमेंट हो गया तो भाव नौ रुपये गिर गये। कुल मिला कर उसको पांच रुपये का घाटा ही हुआ। इतने बेबस हैं ये हमारे मंत्री जी। क्या करेंगे।

इनका एक प्लड विभाग है। वह क्या करता है? हमारे यहां यमुना नदी में इनके विभाग ने ठाकरें लगाई 1974 में। 1976 में लिख दिया कि सब बह गई हैं। घाटाह लाख का काम था। सब 18 लाख बह गया। इस क्रम रुपये का यहां गोलमाल होता है। भ्रव भ्रगर नाला खुदवाना होता है उसका क्या तरीका है? यह तरीका अंग्रेजों ने यहां बनाया था। उनका कहना था कि 15 जून को यहां बरसात शुरू हो जाती है। समय पर भ्रव काम नहीं किया जाता है। बरसात से बहुत पहले काम नहीं किया जाता है। किया ऐसे जाता है कि बीसह जून को वर्क आर्डर मंगा लिया जाता है और 19 जून को सारे नाले खोद लिये जाते हैं। उसी में एम बी है, चार्ट है, लिस्ट है, टेंडर भी है, वर्क आर्डर भी है। मैं कहूंगा कि भ्रगर किसी विभाग को कोई आप पैसा दें तो उसका कुछ थोड़ा बहुत हिसाब किताब भी रखें, उस पर कुछ बैंक भी रखें, देख भी लिया करें कि किस तरह का काम हो रहा है। हमारी सरकार से तो जिजिनेसमें ही अपेक्षा है। वह शाम को रोकड़ को तो मिला लेता है और हिसाब

किताब तो कर लेता है और यह तो देख लेता है कि कितना उधार है, कितना बाकी है। यह सरकार तो कुछ भी नहीं करती है।

सरकार नकशे तो बहुत भ्रष्टे भ्रष्टे बनाती है और गुम्बद में बैठ कर बनाती है। देखने में वे बहुत सुन्दर होते हैं। लेकिन जब वे बाहर जाते हैं तो उनमें शिकन पड़ी हुई दिखाई देती है, फटे हुए दिखाई देते हैं, जर्जर होते हैं।

अभी मैं बाहर गया था। वहां मुझे काश्तकारों ने इस क्रम घेर लिया जिस तरह से गुड़ की भोली को मक्खियां घेर लेती हैं। इस तरह से मेरे क्षेत्र वालों ने मुझे घेर लिया। मैंने कहा कि मैं सरकार से कहूंगा इसके बारे में जो स्टेटमेंट श्री भानु प्रताप सिंह ने दिया है कि गन्ना कम बोधो। मैं तो कहूंगा कतई न बोएं नहीं तो आगे से सरकार बिन्कुल उठा नहीं सकेगी। आप यह भी कह दें कि कोई गन्ना न बोएं। साथ ही गेहूं जो है इसको भी अभी दरिया में फेंक दें सारे के सारे को नहीं तो एक सौ साठे बारह तो भाव आपने जरूर कर दिया है लेकिन सत्तर में ही खरीद सकेंगे। इतना यह मंदा होने जा रहा है।

इनके काम के तरीके अजीबो-गरीब हैं। मुजफ्फरनगर में जो गेहूं खरीदा जायेगा तो उसको धरा जाएगा गोरखपुर के गोडाउज में और गोरखपुर से जो खरीदा जाएगा वह धरा जाएगा मुजफ्फरनगर के गोडाउज में। खाने वाला भ्रगर गोरखपुर का मांगता है तो उसको मुजफ्फरनगर का बिया जाएगा और मुजफ्फरनगर वाला मांगता है तो उसको गोरखपुर का दिया जाएगा। गुड़गांव का मांगता है तो उसको कहीं और का गोरखपुर आदि का दे दिया जाएगा। कहा जाता है कि वहां पर ही हमारे गोडाउज हैं।

भ्रव आप खांड की बात को लें। यह एक रुपया किलो है लेकिन चाय का प्याला 35 पैसे का है। घंटाघर आप चले जायें तो वहां पर जलेबी, मिठाई बगीरह आपको 18 रुपये किलो मिलेगी। खांड इतनी सस्ती और ये चीजें

इतनी महंगी। मीठा इतना मधा और इनसे बनी चीजें इतनी महंगी।

इनको तेल चाहिये। लेकिन किसके लिए चाहिये? सहर वालों के लिए चाहिये। खाने के लिए भी चाहिये और बालों में लगाने के लिए भी चाहिये। इन्हें दाल चाहिये और वह भी भरहर की चाहिये, उड़द की नहीं चाहिये। कहा जाता है कि भालू खाएँ बड़ा सस्ता है और इतना बढ़िया पैदा करके दिखा दिया है। धारिया साहब ने कहा कि भालू के बारे में एक विचार गोष्ठी होगी और उसमें इस पर विचार किया जायेगा कि भालू की खरीद हो या नहीं। अगर खरीद होती है तो कब होगी? उस दिन होगी जब भालू सड़ जायेगा। भालू निकलता है फरवरी में लेकिन इस पर विचार होगा जून और जुलाई में। आपको क्या लज्जा नहीं आती है?

मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कल को आप स्टेटमेंट दे दो कि गन्ना जो बोयेगा वह जेल जायेगा और गेहूँ जिसका है वह उसको घमना में सड़ा दे नहीं तो यह सत्तर रुपये बिकेगा। इस तरह का स्टेटमेंट आप दे दो तो आपकी बड़ी छ्पा होगी।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

SHRI M. R. LAKSHMINARAYANA N(Tindivanam): I am extremely grateful for having given me this opportunity to speak in this House. As most of the points have already been covered by many hon. Members, I do not wish to touch those points. I would like to stress only two or three points as far as Tamil Nadu is concerned.

The House may recall that in 1967 for the first time, the partial control policy of sugar was introduced by the hon. Minister, Shri Jagjivan Ram, the then Minister for Food and Agriculture. The avowed intent of the policy at that time was to ensure that the customers got not less than 70 per cent

of the sugar that was produced in the country, at a fair price. The other 30 per cent of the sugar was allowed to be sold in free market at market price to enable the people who could afford to pay higher price. This extra realisation of the free market sugar was meant that the sugar factories could pay the cane growers a premium above the statutory minimum price which would enable the factory to effectively compete with the other competitions for the sugarcane, like gur and khandsari, etc. Later on, the Bhargava Commission has recommended a policy of sharing 50: 50 between the factory and the cane growers from the additional profit earned due to the free sale of sugar. Even this Bhargava formula was defective because it has not stipulated any norms to work out the cost of conversion. Unfortunately, what remains in statute books are really not followed by some of the tycoons of the sugar industry and invariably they hide under the patronage of the high ups in the Government. Had it not been so in the State of Tamil Nadu since 1967, the State Government has followed the practice of having a tripartite committee headed by Government which fixes a fair price to be paid to cane growers by the factory, thus avoiding individual bargaining by the mills. I am sorry to state, however, that out of 16 factories in Tamil Nadu only four factories which are managed by big tycoons in this sector, failed to implement this fair price fixed by the State Government from 1972 onwards. I raised this subject through an Unstarred Question No. 5613 dated 1st August, 1977 but the Government failed to supply the entire details. I am really surprised why this Government is not in a position to supply such information. But I am having that information with me and I can supply it now.

From 1972-73 to 1975-76 in not implementing the State Government's advised price the Thiru Arooran 650 LS—77.

[Sbri M. R. Lakshminarayanan]

total amount of Rs. 35,81,524/- due to the growers. The second factory, is South India Steel and Sugars Ltd. has also evaded paying total amount which was legitimately due to the growers as advised by the State Government which comes to Rs. 25,86,183.75. In the case of Madurai Sugar Factory, in 1973-74, the amount comes to Rs. 80,267 and in the case of Kothari Sugar Factory, in 1975-76, it comes to Rs. 3,10,864.

This is how the big business tycoons have failed to pay the prices even though the State Government have advised them to pay certain prices which were minimum as compared to the prices of cooperative factories and which were far lower than the prices which were being paid in the State. These factories have failed to give even the minimum prices.

From the figures mentioned above, it is evident that the cane growers have suffered a loss to the tune of Rs. 65,58,838.79 paise which was legitimately due to several thousands of poor cane growers.

Various representations made to the State Government have had no effect as the State Government has pleaded that it has no power statutorily to implement the price fixed by the tripartite committee. Even the number of representations made to the Centre by the poor cane growers from my State have also fallen on the deaf ears of the high-ups in the Central Government. Not only that. Since 1972, I have been pursuing this matter. Nothing has happened. I was in the Consultative Committee attached to the Ministry of Agriculture and Irrigation under the previous Government. I raised this point on several occasions. But the same answer was given. The answer was that the State Government has no power. I know very well that the State Government has no power. But the Central Government could intervene and see that this amount was paid. But actually the Central Government also said that the Centre has no powers. It is high-

ly unfair that such type of answer should come from the Central Government. I fail to see how any responsible Government can show such a discrimination and allow poor farmers to be exploited by the tycoons of the sugar industry. I hope that at least the present Government will prevent such exploitations.

Further, I would like to point out that due to the present partial Central policy, the factories are able to make black money, cheating the exchequer by way of paying lesser excise duty and not showing the correct income in any account and filing false returns. Thus, the company in general and share-holders in particular are cheated due to the mal-practice like one I raised in connection with Jeypore Sugars Company in my Unstarred Q. No. 60006 on 7th April. 1978.

The hon. Minister of State for Finance in reply to my above Question stated that the management of the Jeypore Sugar Company sold 14,000 quintals of levy sugar in black market without supplying to the various allottees in various States, as per the directions of the Central Government, deliberately filed false returns, evaded huge amounts of excise duty and income-tax. It is a very serious economic offence inasmuch as the management of the company deprived the general public of the huge quantity of sugar at a fair price which I am sure this august House will not tolerate. The company has evaded excise duty to the tune of Rs. 2-1/2 lakhs roughly and made black money to the tune of Rs. 30 lakhs and above. By such an act, the company has committed a serious violation of Sugar Control Order issued under the Essential Commodities Act. I also feel that the management of Jeypore Sugar Company has cheated not only the Central Government but the general public and their shareholders by deliberately falsifying their books of accounts and documents and filing false returns in the Sugar Directorate to suppress this huge fraud for which they must be punished for cheating

under Section 420, read with 120(B) of the I.P.C. This happened in 1972 whereas we are now in 1978. I fail to understand when the Department was quite aware of such facts regarding deliberate falsification of books of accounts and documents and filing false returns to the Sugar Directorate of the Central Government, how this huge fraud was allowed to be hidden under the rugs. I, as a member of the House, general public and the representative of the poor cane growers of Tamil Nadu, have every right to demand that the entire facts of the case should be brought light and the guilty be punished. I want to know who are responsible for such an undue delay. I feel, unless some important high ups are involved in this matter, there cannot be this much of delay.

I humbly request the hon. Minister for Agriculture through you, Sir, to take it up personally and to see that the prosecution is immediately launched against the management of the company so that by similar acts the management of the other companies producing sugar or any other essential commodities do not resort to such methods. This is one of the instances which I have come across, but I am sure that the manufacturers of other essential commodities are also indulging in such violations for which I urge that the Government machinery must be made strong enough to detect such economic offences and punish them in accordance with the law without any delay.

To avoid all such exploitations of farmers, consumers and to avoid evading of taxes, I had spent some time to evolve a workable method which I am presenting below:

The sugar industry has been plagued by....

MR. CHAIRMAN: Please conclude. You can send it in writing to the Minister. It will curtail the time of the other Members. Please try to conclude in one minute.

SHRI M. R. LAKSHMINARAYANAN: This is a very vital policy. So, I will conclude within two minutes. I appeal that this is a new policy which must be adopted: (1) the Government should nationalise sugar factories in corporate sectors; (2) they can convert them into co-operative sugar factories or (3) they should be made as conversion centres alone so that you can avoid all sorts of problems. Lastly....

MR. CHAIRMAN: You have taken more time. I am sorry. Your time is over.

SHRI M. R. LAKSHMINARAYANAN: I have only one point to make.

MR. CHAIRMAN: You were saying lastly all along. We cannot carry on like this.

SHRI M. R. LAKSHMINARAYANAN: Coming to wheat, here I have got a book regarding subsidy.

MR. CHAIRMAN: You will have to conclude, now, Mr. Bhanu Pratap Singh.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री भानु प्रताप सिंह) : सभापति महोदय, मैं आप का आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने विचार सदन के समक्ष रखने का अवसर दिया। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का भी आभारी हूँ, जिन्होंने अपने मूल्यवान सुझाव इस मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में रखे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि उन की बहुत सी बातें ठीक हैं, उन में तथ्य हैं, हम उन पर विचार करेंगे और यथासम्भव उन पर अमल भी करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी भी आलोचनार्यों की गई हैं, जो पूर्णतया तथ्यहीन हैं और मैं उनका विषय में कुछ बातें कहूँगा।

परन्तु इससे भी पूर्व मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे इस बात पर खेद है कि जब इतने महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन में चर्चा चल रही हो, उस समय माननीय सदस्य बहुत

[श्री भानु प्रताप सिंह]

बड़ी संख्या में अनुपस्थित हैं। हम लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर खेती की उन्नति क्यों नहीं हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि इसके अनेक कारणों में से सब से बड़ा कारण यह है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने, कृषि में जितनी दिलचस्पी दिखानी चाहिए थी, उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है।

भ्रालोचना के बारे में उत्तर देने से पूर्व मैं कुछ सामान्य बातें भी आप के सामने रखना चाहता हूँ। सब से पहली बात तो यह है कि हम को कोई नई साफ़ स्लेट लिखने के लिए नहीं मिली है। स्लेट पर कुछ लिखा हुआ हो तो उसको आसानी से मिटा कर फिर लिखा भी जा सकता है। मगर हम को विरासत में कुछ नीतियाँ मिली हैं, उन नीतियों से जुड़े हुए कुछ कानून कायदे हैं, कुछ सोचने का ढंग है। जो प्रचार चलता आया है बीसों वर्षों से उसका भी प्रभाव लोगों के दिमाग पर है। इन सब के कारण आज जिस ढर्रे में गाड़ी पड़ गई थी और लगभग 30 वर्षों तक पड़ी रही उससे निकाल पाना इतना मरल काम नहीं है। जो सोचने का ढंग है उसको बदलना है। वह ऊपर से नीचे तक व्याप्त है। उस सोचने के ढंग को बदलना इतना आसान नहीं है। मैं समझता हूँ कि पत्थर की चट्टान को तोड़ना आसान है लेकिन परम्परागत रूढ़ियों से लगी हुई जो बातें हैं उनको बदलना काफी कठिन काम है। हम उसको बदलेंगे, हमारा इरादा है लेकिन उसको बदलने में समय लगेगा। मैं इस का एक ममानान्तर उदाहरण देना चाहता हूँ कि यह बातें कितनी कठिन होती हैं। हरिजनों का उदाहरण ले लीजिए। सभी चाहते हैं कि उन का उद्धार हो, सभी चाहते हैं कि उन के साथ सद्ब्यवहार हो, परन्तु फिर भी नहीं हो पाता। किसानों को भी दशा उस से मिलती जुलती है। वे अछूत तो नहीं माने गए हैं इस देश में परन्तु मैं यह कहूँगा कि उन के साथ समाज ने जो व्यवहार किया है अब तक वह ऐसा रहा है

कि उन्हें ज्वाय नहीं मिलता रहा। यह मान लिया गया

एक आत्मनीय सवस्य : अब दीजिए।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैंने तो कह दिया, इरादा है इस सरकार का लेकिन समय लगता है परम्पराओं को और विचारों को बदलने में। थोड़ा आप समय दीजिए। हम ने बदला भी है जो हमें समय मिला है उस में लेकिन मैं अपनी कठिनाइयाँ रख रहा हूँ कि जो परम्पराएँ हैं उनको तोड़ने में समय लगेगा। यह दशा किसानों की बना दी गई थी कि सारे ग्राम्य वर्गों के हित उन के हित के ऊपर रख दिए गए थे। यह मान लिया गया था कि जो कुछ भी निर्णय होगा वह किसानों के लिये मान्य होगा। उन के हितों की कोई परवाह नहीं की गई थी। यह सब बदलने का हमारा विचार है और हम बदलेंगे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि कृषि अपने आप में उद्योग से भिन्न है। उस के अन्दर नीतियों में परिवर्तन करने में समय लगेगा। आज किसी वस्तु का औद्योगिक क्षेत्र में अग्रर अधिक उत्पादन हो रहा है तो आप एक बिजली का बटन दबा कर के या स्विच दबा कर के उसका उत्पादन बन्द कर सकते हैं, परन्तु क्या कृषि में इस प्रकार से उत्पादन बन्द कर सकते हैं? अग्रर उद्योग में किसी चीज के अधिक उत्पादन की जरूरत हो तो दूसरा बटन दबा कर ऐसा कर सकते हैं, परन्तु क्या कृषि में ऐसा कर सकते हैं? तो जब यह संभव नहीं है तो समय जरूर लगेगा। एक सीजन में थोड़ी सी गलती हो जाय तो उस गलती को अगले 12 महीने तक सुधारा नहीं जा सकता।

एक तीसरी बात पर भी आप को ध्यान देना चाहिए कि योजनाएं हम भले ही बनाते हैं, परन्तु उनको कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है और जिस हद तक तत्परता के साथ, कार्यकुशलता के साथ राज्य सरकारें हमारे बताए हुए रास्ते पर चलेंगी या राज्य सरकारें अपने से सोच कर किस तरह से किसानों की सहायता करेंगी उसी हद तक उस राज्य में कृषि की प्रगति हो सकती है। इन तमाम बातों का आप ध्यान रखें और थोड़ा धीरज रखें तो मैं आप को विश्वास दिलाता हूँ कि जनता पार्टी पुराने सारे सोचने के तरीकों को बदलने के लिए दृढ़ संकल्प है और बदलेगी।

अब कुछ जो आलोचनाएं हो रही है उनके विषय में कहना चाहता हूँ। खाद्य स्थिति के बारे में बाबजूद इस के कि पिछले वर्ष 1 करोड़ टन अनाज कम पैदा हुआ था देश में, 121 किलियन टन से गिर कर 111 मिलियन टन हो गया था फिर भी स्थिति बहुत ही संतोषजनक बनी रही। मूल्यों के विषय में कल माननीय शिन्दे साहब ने कहा था कि मूल्यों को हम स्थिर नहीं रख सके। आज वह यहाँ उपस्थित नहीं हैं। मैं बतलाना चाहता हूँ कि सन् 1976-77 और 1977-78 के बीच चावल का मूल्य खुले बाजार में 3.2 प्रतिशत बढ़ा है, गेहूँ का मूल्य केवल 3 प्रतिशत बढ़ा है जब कि सामान्य सूचकांक 5 प्रतिशत बढ़ा है। इस का अर्थ यह होता है कि जब कि अनाज के मूल्य 5 प्रतिशत से कम बढ़े हैं तो कृषि में भिन्न वस्तुओं के मूल्य पांच प्रतिशत से ज्यादा बढ़ेंगे, तब यह प्रीसत पांच का आया। तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कृषि से भिन्न वस्तुओं के मूल्य में जिनकी बढ़ोत्तरी हुई है उसकी तुलना में कृषि वस्तुओं के मूल्यों में कम बढ़ोत्तरी हुई है बाबजूद इसके कि कम पैदावार हुई थी। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यह बढ़ोत्तरी जरूरी थी। यह

कमी सम्भव नहीं है कि कृषि से भिन्न वस्तुओं के मूल्य बढ़ते चले जायें और कृषि वस्तुओं के मूल्य तीन साढ़े तीन फीसदी भी बढ़ें तो उस पर आपत्ति की जाये। जो भी इस प्रकार की आपत्ति करते हैं वे वास्तव में किसानों के हितैषी नहीं हैं। (अवधान)

खाद्य स्थिति संतोषजनक है, इसको हम कुछ बातों से सिद्ध कर सकते हैं। हमने सोवियत यूनियन का लगभग 15 लाख टन उधार का गेहूँ वापिस करने का फैसला किया है, उधार वापिस कर भी रहे हैं। हमने एक लाख टन फ्रांटे की सप्लाई बियतनाम को की है। इसके अतिरिक्त सिद्धांत रूप से बियतनाम को अतिरिक्त तीन लाख टन गेहूँ देने का भी फैसला किया जा चुका है। अफगानिस्तान और इंडोनेशिया को पचास-पचास हजार टन गेहूँ की सप्लाई की जा रही है। 1977 में हमने बीस लाख टन बासमती चावल का भी निर्यात किया है। इस समय यह प्रश्न भी विचाराधीन है कि क्या हम गेहूँ का वाणिज्यिक निर्यात भी कर सकते हैं। इसके अलावा दो लाख टन से अधिक गेहूँ "फूड फार वर्क" स्कीम के अन्तर्गत भी दिया गया है। इस तरह से अब खाद्यान्न की स्थिति सुधरी है, कम से कम मेरे सोचने के दाय के अनुसार और उसका यह भी प्रमाण है कि आज देश में तीन राज्यों को छोड़ कर किसी राज्य में किसानों से सीधे उनकी भर्जी के खिलाफ, गल्ले की बसूली नहीं हो रही है जिन तीन राज्यों में यह बसूली हो रही है उनका नाम है—कर्नाटक, केरल और पश्चिम बंगाल। आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि किसानों के कौन हितैषी है और कौन हितैषी नहीं है। किसानों के घर से जबर्दस्ती किमी निर्धारित मूल्य पर गल्ले की बसूली को मैं उनके साथ अन्याय समझता हूँ।

यहां पर मूल्यों का प्रश्न भी उठाया गया। हमने कुछ मूल्य बढ़ाये हैं। धान का

[श्री भानु प्रताप सिंह]

मूल्य 74 से 77 रुपए किया गया। गेहूँ का मूल्य 105 से 112 रुपए 50 पैसे किया गया। जने का भाव 95 से 125 रुपए किया गया। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि जने को छोड़ कर, जो और बढ़ोत्तरी की गई है वह कोई बहुत ज्यादा नहीं है (व्यवधान) मैं स्वयं मानता हूँ कि बढ़ोत्तरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन परिस्थितियों में अन्तर है। उगाही मूल्य और समर्पण मूल्य इन दोनों में अन्तर है। पहले उगाही मूल्य था लेकिन आज केवल समर्पण मूल्य है अन्तर यह है कि पहले जबदस्ती का सौदा था लेकिन आज हम डूबने हुए किसानों को उबारने के लिए उनकी सहायता करने जाते हैं। क्या दोनों में आपको अन्तर नहीं दिखाई देता है। बहुत अन्तर है। पहले जबदस्ती का सौदा था लेकिन आज हम उनकी सहायता के लिए जाते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि परिस्थितियाँ ऐसी पैदा कर दी जायें कि किसानों को अच्छा मूल्य मिले, सपोर्ट प्राइस कुछ भी हो, किसान अपनी उपज सपोर्ट प्राइस से ऊपर बेच सके और ऐसा दुश्मन भी है, जब हमने धान पर से प्रतिबंध उठा लिए थे तो उसका फल यह हुआ कि जो सरप्लस स्टैट्स हैं उनके किसानों को ज्यादा कीमत मिली। इसके आंकड़े हैं। (व्यवधान) मैं होउमेन प्राइमर बनाना चाहता हूँ (व्यवधान) किसानों को उत्तर प्रदेश में (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I think hon. Members will benefit if they listen and later they can ask questions by way of clarification.

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं आप को थोका भाव बतला रहा हूँ—उत्तर प्रदेश में 1977-78 में धान कटने के चार महीने के अन्दर 82 से 90 रुपये भाव रहा। मध्य प्रदेश में 96 रुपये से 115 रुपये रहा और पंजाब में 77 रुपये से 100 रुपये रहा। एक तरफ तो किसानों को ऊँचे मूल्य मिले, दूसरी तरफ जो डेफिसिट स्टेट्स थीं—चावल में, उन के उपभोक्ताओं को खुले बाजार में सन्

मूल्य पर चावल मिला। बिहार में इस वर्ष 139 से 175 रुपये भाव रहा, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 175 से 230 रुपये था। महाराष्ट्र में 145 से 162 रुपये रहा, जब कि इसी अवधि में पिछले वर्ष 175 से 210 रुपये था। वैंट-बंगाल में 160 से 210 रुपये रहा, जब कि पिछले वर्ष 192 से 220 रुपये था। केरल में 175 रुपये से 205 रुपये रहा, जब कि पिछले वर्ष 205 से 245 रुपये था, दिल्ली शहर में इस वर्ष 165 रुपये का भाव रहा, जब कि पिछले वर्ष 180 रुपये था।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सपोर्ट प्राइस के अतिरिक्त भी सरकार ऐसे कदम उठा सकती है, जिस का किसानों को लाभ मिलेगा। मैं यह भी कह सकता हूँ—मेरे मंत्रालय का ऐसा इरादा है, हम चाहते हैं कि किसान 112 रुपये 50 पैसे से अधिक पर अपना गेहूँ बेच सकें। हम को बड़ी खुशी होगी, अगर वह इस भाव से अधिक पर बेच सकें, हम ने इस भाव पर लेने की जबरदस्ती की कोई योजना नहीं बनाई है, लेकिन साथ ही मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसान चाहे जितनी बड़ी मात्रा में अपना गेहूँ इस भाव पर बेचने को तैयार होगा, वह सारा गेहूँ सरकार खरीदेगी। मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारा जो तन्त्र है, आप सब इस बात से परिचित हैं और मैं भी उसी देश का हूँ जिस देश के आप हैं, बहुत से लोग गड़बड़ करने वाले हैं—इस देश में। लेकिन मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ—खास तौर से संसद के माननीय सदस्यों से और तमाम विधान सभाओं के सदस्यों से—आखिर उन का भी तो कुछ कर्तव्य है। जब भी उन के क्षेत्र में गेहूँ या धान कम मूल्य पर बिके तो या तो वे वहाँ के अधिकारी से मिल कर उस को ठीक करा लें, अन्यथा हम को सूचना दें। उन की सूचना मिलने के 24 घण्टे के अन्दर हमारा प्रयास होता है और जिन माननीय सदस्यों ने हमको सूचना दी है, वाहे

उड़ीसा के हों या अन्य किसी राज्य के हों, हम ने वहाँ पर व्यवस्था की है समर्पण मूल्य पर दान खरीदा जाय। इसके लिये एक-सौ-आई० को चाहे कितनी कीमत चुकानी पड़े, यह सर्पेंट प्राइस एक प्रकार से सरकार का प्राश्वासन है और इस प्राश्वासन को हर तरह से पूरा किया जायगा, लेकिन इस में आप के सहयोग की आवश्यकता है।

अधिष्ठाता महोदय, इस सदन में एक बात कही गई कि धान और गेहूँ के मूल्यों को निश्चित करते समय दक्षिण भारत के किसानों के साथ न्याय नहीं किया गया है या कम से कम धान पैदा करने वाले राज्यों के साथ न्याय नहीं हुआ है। कुछ ऐसे संकेत भी किये गये—चूँकि मंत्रीगण उत्तर भारत के हैं, इस लिये धान पैदा करने वाले किसानों के साथ इन्साफ़ नहीं हुआ है। मैं बिना इस बात पर अपने विचार व्यक्त किये—यह कहना चाहता हूँ—अपने देश में जो धान और गेहूँ का मूल्य है, वह परम्परागत है। वह एक प्रकार से ऐतिहासिक तथ्य है। सन् 1940 से मैंने खेती करना शुरू की है और आज तक गेहूँ और धान की एक निस्वत रही है, जो सरकार ने निश्चित की है। व्यक्तिगत रूप से मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो दोनों का रेशो है, यह परम्परागत है और जैसा कि मैं कह चुका हूँ परम्पराओं को तोड़ना जरा कठिन होता है। आप भी कोशिश करिये। मेरी यह व्यक्तिगत राय है जिस को मैंने जाहिर किया है कि यह प्रोपोर्शन ठीक नहीं है लेकिन इस के साथ ही मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस के लिए जनमत बनाना पड़ेगा।

15 hrs.

SHRI AMAR ROY PRADHAN
(Cooch Bihar): Then what is the solution? You must tell us that.

श्री बानू प्रताप सिंह : देखिये, पहले 74 रुपये क्विंटल धान की कीमत थी और

गेहूँ की कीमत थी 105 रुपये और रेशो थी 1:1.43।

SHRI V. ARUNACHALAM (Tirunelveli): From which year?

SHRI BHANU PRATAP SINGH: 1974-75.

SHRI V. ARUNACHALAM: What was the rate of wheat in that year?

SHRI BHANU PRATAP SINGH: I am telling you. You are not listening. The ratio was 1:1.4; now it is 77:110.

अब यह रेशो हो गई है। इंसोमल प्लेस में 1 का फ़र्क है और अभी जो ढाई रुपये बड़े हैं, इसक लिए अगले सितम्बर तक प्रतीक्षा कीजिए। यह हमेशा आगे-पीछे होता है। जब वह फ़सल आएगी तो उस पर विचार करेंगे लेकिन मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह जो रेशो है यह प्रोक्वोरमेंट के पहले का है। जब कोई प्रोक्वोरमेंट नहीं होता या उस समय भी धान की कीमत गेहूँ के मुकाबले में हमेशा कम रही है।

अब मैं कुछ ग्राम विकास के विषय में कहना चाहता हूँ। लगभग 5,000 ब्लाक्स हैं और इस वक्त 3426 ब्लाक्स में कुछ न कुछ और कोई न कोई कार्यक्रम चल रहा है। इन में से 2,000 ब्लाक्स को छोड़ कर उनमें नये सिरे से इन्टेंसिव काम होगा लेकिन बाकी जो 3426 में 2,000 ब्लाकों के प्रतिरिक्त हैं, उन में जो काम आज चल रहा है, वह चलेगा, वह बन्द नहीं होगा और न ही वह कम होगा। नये काम को सरकार छोटे किसानों के लिए करेगी वह हूँ सचन खेती, पशु पालन, भछली पालन, वन लगाना, ग्राम और सधु उद्योग की स्थापना और एक नया प्रयास कृषक सेवा को एक व्यवसाय का रूप देने का है। बाकी चीजें तो स्पष्ट हैं लेकिन थोड़ा सा विस्तार से अन्तिम बात के बारे में कहूँगा। जो लोग यह सुनते हैं कि अमेरिका में 4, 5 प्रतिशत ही लोग खेती का काम करते हैं, उन को मैं यह बतलाना

[श्री बानु प्रताप सिंह]

चाहता हूँ कि यद्यपि वास्तविक क्षेत्रों में 4, 5 प्रतिशत लोग ही बहाँ पर लगे हैं लेकिन किसानों को सहायता प्रस्तुत करने में कम के कम उसके इयोड़े लोग लगे हुए हैं। आज अपने देश में किसानों को सहायता पहुँचाने के लिए प्लान्ट प्रोटेक्शन के लिए भगीन ठीक करने वाले और इस प्रकार की सेवाएं पहुँचाने वाले स्वतन्त्र रूप से नहीं हैं, सिवाय थोड़े से ब्लाक वरीरह में मिलते हैं। अगर वह मेरी दृष्टि से अपर्याप्त है। हम को गांवों के ही लड़कों को बाहर निकाल कर कृषि के विषयों में शिक्षा देनी होगी और उनको इस तरह स्थापित कर करना होगा कि वे स्वयं भी थोड़ा सा कमा सकें और अपने पड़ोसी किसानों की भी सेवाएं कर सकें।

हमारे देश में 4,426 ब्लाक हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनमें पूर्व सरकार के कुछ प्रभावशाली लोग ने एक ही ब्लाक में दो-दो और तीन-तीन कार्यक्रम एक साथ चलवा दिये। अब यह फेसला किया गया है कि एक क्षेत्र में एक ही कार्यक्रम चलेगा। यह भी निश्चय किया गया है कि जहाँ हुलीकेशन है, टिप्पिकेशन है, उस संख्या तक ब्लाक बढ़ा लिये जाएं। इसका परिणाम यह होगा कि 4,426 ब्लाकों में से 3,500 ब्लाकों में कुछ न कुछ काम होगा और इस तरह 75 प्रतिशत ब्लाकों में यह काम होने लगेगा।

अब यहाँ किसानों को मिलने वाले कर्ज का जिक्र किया गया। इस सम्बन्ध में कुछ फेसले किये गये हैं जिनके अनुसार वाणिज्यिक बैंकों से और सहकारी बैंकों से मिलने वाले लम्बे कर्ज की दर कर अब 11 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी। माइनर इरिगेशन और लेण्ड डवलपमेंट के लिए मिलने वाले कर्ज की दर साढ़े दस प्रतिशत होगी। इसी तरह वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों से शार्ट टर्म कर्जों के विषय में भी बात चल रही है। इस के लिए भी कुछ न कुछ सूद दर गिरायी जाएगी।

चीनी उद्योग के बारे में कई बार इस सदन में मामला उठ चुका है। लेकिन फिर भी यह आवश्यक है कि इस के विषय में कुछ कहा जाए। हमारे ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि हम ने चीनी उद्योग का कुप्रबंध किया है, मिसमेनेजमेंट किया है। अधि-उत्पाद महान्वय, यह इन्डस्ट्री हमको मिसमेनेज्ड स्टेट में मिली थी। विरासत में मिली थी। इस उद्योग में सब से बड़ा मिसमेनेजमेंट यह किया गया कि बिना इस बात को सोचे हुए कि हमारे देश में कितनी चीनी की जरूरत पड़ेगी, हम कितना इसका निर्यात कर सकेंगे, कितनी इसकी देश में खपत होगी, भ्रंशार्थ गन्ने की पैदावार बढ़ने दी गयी। इसी मिसमेनेजमेंट के कारण, हमारे देश को गन्ने की जितनी आवश्यकता है, जितनी चीनी हम खपत कर सकते हैं, उससे ज्यादा गन्ना पैदा करने दिया गया। यह 10-5 फीसदी ही ज्यादा पैदा नहीं किया गया बल्कि बहुत अधिक पैदा किया गया। मैं झांकड़े देकर बताना चाहता हूँ कि पिछले साल चीनी का केरी ओवर 16 हजार टन से ज्यादा था। इस वर्ष कम से कम 73 लाख टन की पैदावार होगी। पिछले साल चीनी की खपत साढ़े सैतीस लाख टन हुई थी। इसका अर्थ यह निकलता है अगर हम एक्सपोर्ट भी करें तब भी खपत करने के बाद चीनी समाप्त नहीं होगी।

चीनी के निर्यात की बात कही जाती है। आज संसार में चीनी इतने कम मूल्य पर बिक रही है कि हम उसमें बहुत घाटा उठावेंगे। लेकिन फिर भी हम ने उस घाटे को उठाने और निर्यात करने का फैसला किया है। हमारे माननीय चौधरी साहब, जो मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, ने कुछ तानाफणी की कि माननीय मंत्री जी ने किसानों से कहा है कि गन्ना कम पैदा करो। मैंने बेशक कहा है और फिर इस सदन में भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपके दिल में सचमुच में किसानों के लिए हमदर्दी है तो आप भी किसानों को यह राय दें कि वे ऐसी फसल पैदा करें जिसकी

द्वेष और विदेश में मांग हो। ऐसी फसल न पैदा करें जिसकी मांग न हो।

श्रीधरी बलबीर सिंह (होगियारपुर):
बीनी ज्यादा है तो और निलें क्यों प्राप खोल रहे हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह : कहां खोली है ?

श्रीधरी बलबीर सिंह : पंजाब में चीफ मिनिस्टर ने उसका प्रोपनिंग किया है। एक हफ्ते के अन्दर अन्दर यह हुआ है।

श्री भानु प्रताप सिंह : पुरानी बन कर बहार हो गई होगी। अब उसको तो खोलना ही था (अवधान) ..। प्राप मेरी बात को सुनेंगे तो प्रापको भी फायदा होगा और किसानों को भी होगा।

MR. CHAIRMAN: Will you please resume your seats. The Members may please resume their seats.

SHRI V. ARUNACHALAM: Madam, I have a point of order.

MR. CHAIRMAN: Please tell me what is the point of order.

SHRI V. ARUNACHALAM: Madam, he is misleading the House by giving false figures. The procurement price in 1974, according to the information given by the Minister, was Rs. 105. But in fact it was Rs. 95. From Rs. 95.0 it has increased to Rs. 112.50.

MR. CHAIRMAN: You resume your seat. He will now reply to that.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: Madam, I am very sorry to know that the hon. Member is misinformed on this point. The procurement price of wheat was never Rs. 95.0.

SHRI V. ARUNACHALAM: I have got the document. I will lay it on the Table.

MR. CHAIRMAN: No, no, you cannot lay it on the Table of the House.

SHRI V. ARUNACHALAM: I am handing it over to the Minister. (Interruptions).

MR. CHAIRMAN: Hon. Members may please understand that the Minister can only deal with one point at a time. He is now dealing with a particular point. He is not talking about paddy. He is dealing with sugar.

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं शककर की बात कर रहा था। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि किसान को गन्ना कम बोना चाहिये।

MR. CHAIRMAN: Excuse me Mr. Minister. A point of order was raised by the hon. Member, Mr. Arunachalam about the procurement price of wheat.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: I have told him that the information was inaccurate.

MR. CHAIRMAN: But the point is that he has given that information from the document which he has handed over to you.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): This is not the final document for fixing the price.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: This document we will consider. I do not know what kind of document it is. But I can categorically state once again that never in this country was the procurement price for wheat Rs. 95.0 per quintal.

SHRI V. ARUNACHALAM: This document was available in the Library.

(Interruptions)

SHRI BHANU PRATAP SINGH: May be...

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister has said that he will deal with it

[Mr. Chairman]

when he replies. At that time, you can raise the matter for clarification.

श्री भानु प्रताप सिंह : मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें और जो मुझे कहना है कह लेने दें और उसके बाद अधिष्ठाता महोदय। अगर कहेंगी तो मैं आधे घंटे तक सब के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। बीच में अगर टोकाटाकी करेंगे तो मेरा कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। जो सूचना मैं देना चाहता हूँ वह किसानों के हित में देना चाहता हूँ। अगर किसानों के आप प्रतिनिधि हैं तो आप कृपा करके मेरी बात सुन लें। अगर कोई स्पष्टीकरण चाहिये हो तो बाद में आप ले सकते हैं। मैं चौबीस घंटे आपकी डिसपोजल पर हूँ।

मैं दोहरा देना चाहता हूँ ताकि यह रिकार्ड पर चला जाए कि मेरा भविष्य किसानों को यह होगा कि वे गन्ने की काश्त कम कर दें। अगर उन्होंने वो दिया है तो उनकी रटून की फसल कम से कम आषाढ़ में जून में लगानी चाहिये। जो स्थिति है उससे विकट स्थिति अगले वर्षे गन्ने और चीनी के विषय में होने वाली है। अगर इस चेतावनी के बावजूद भी किसान गन्ने का रकबा बढ़ाते हैं। तो फिर वह सरकार को दोषी नहीं उहारा सकते हैं कि उनके माल का क्या हुआ यदि इस प्रकार की चेतावनी पिछले वर्ष पिछली सरकार ने दी होती तो आज यह कठिन परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई होती। इस देश में अब तक क्रीप प्लानिंग का कोई सिलसिला नहीं चला। आज इस बात की जरूरत है कि क्रीप प्लानिंग और क्रीप डाइवर्सिफिकेशन किया जाय, और उस काम को करना हमारा कर्तव्य है, और हमने इसको प्रारम्भ भी कर दिया है।

चौधरी बलबीर सिंह : पिछली बार मैंने कहा था कि गन्ने के बारे में ध्यान दें।

श्री भानु प्रताप सिंह : जो वह आरोप लगाया जाता है कि चीनी मिलों ने काम कम किया, मैं यह कहना चाहता हूँ कि

इनस्टाल्ड कपेसिटी आज जितनी देश की है उससे 10 फ्रीसदी ज्यादा चीनी वह बनायेगी। आज के दिन भी पिछले वर्ष जितना कुल उत्पादन हुआ था उससे अधिक उत्पादन हो चुका है।

अब गन्ने के मूल्यों के विषय में दक्षिण भारत के माननीय सदस्यों ने मुख्य रूप से प्रश्न उठाया है। मैं उसकी भी मफ़ाई दे देना चाहता हूँ। जहाँ तक केन्द्रीय सरकार का प्रश्न है और जहाँ तक कानून का प्रश्न है हमारी तरफ से 8 रु० 50 पैसे 8.5 रिकवरी पर है और अगर रिकवरी ज्यादा है तो उसके अनुसार अधिक मूल्य देना चाहिये। और उसके अतिरिक्त अगर फ़ैक्ट्री को कोई लाभ हो तो उस लाभ में से 50 फ्रीसदी फिर किसानों को देना चाहिये। यह तो कानून है, और यह केन्द्रीय सरकार का फैसला है। इस फैसले में न उत्तर, न दक्षिण, न पूर्व और न पश्चिम कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं है। एक समान रूप से कानून बना है। हो क्या रहा है? हो यह रहा है कि उत्तर भारत की राज्य सरकारों ने किसी भी प्रकार से अपने राज्य के मिल मालिकों को सभसा बुझाकर उनसे अधिक कीमतें तय करा दी हैं। अगर दक्षिण भारत के मुख्य मंत्री यह नहीं कर सके तो इसमें केन्द्रीय सरकार का दोष नहीं है। . . .

SHRI P. VENKATASUBBIAH (Nandyal): Are you going to accept the Marathe Committee Report or not? . . . (Interruptions).

MR. CHAIRMAN: If you want to put questions, do so one at a time. If you do so I will understand and the Minister will also understand. When three of you speak at the same-time I do not know what you want to say. Therefore, I request you to speak, one at a time; then I would be able to request the hon. Minister to clarify the point.

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY (Kurnool): About the prices that are paid by the sugar factories, the state governments have no power

to implement them. In some southern States cooperative mills are paying more than Rs. 100 as cane price to the growers whereas the private mills are paying only the minimum price fixed by the government. I have not come across a state government which had done otherwise; they are only supporting the private mill owners.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: The hon. Member is perfectly right. But what I was trying to emphasise is that as far as the Union Government is concerned there is no difficulty. It is one thing that the Governments in the Northern Indian States have been successful in persuading the industrialists here to accept a price.

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: Will the hon. Minister agree to give this power to the State Governments to implement this? Why don't you delegate this power to the State Governments?

15. 20 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

SHRI BHANU PRATAP SINGH: There is no additional power given to the State Government's. (Inter-*ruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, let him continue.

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, कल एक प्रश्न श्री शिन्दे ने उठाया था। परन्तु वह सदन में है नहीं, इसलिए मैं जवाब देकर सदन का समय नहीं लूंगा।

काफ़ी लोगों को नाराज़गी है कि किसानों का गन्ना बिक नहीं पा रहा है, उस की खपत नहीं हो पा रही है। मुझ भी उस का अफ़सोस है। लेकिन एक भी माननीय सदस्य ने, चाहे वह इधर के बैठने वाले हों और चाहे उधर के बैठने वाले हों, कोई ऐसा सुझाव नहीं दिया है, जिस को अमल में लाने से किसानों की हालत सुधर सकती हो।

मैं एक और सफ़ाई दे देना चाहता हूँ। जहाँ तक बड़े चीनी कारख़ानों का प्रश्न है, उन्हें तो निर्धारित मूल्य देना पड़ता है। लेकिन जो खंडसारी और गुड़ बनाने वाले हैं, जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, जो राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं, वहाँ सारी गड़बड़ी है। मैं प्रारम्भ में निवेदन कर चुका हूँ कि अगर राज्य सरकार की मशीनरी ठीक तरह से काम नहीं कर सकती है—यह उन के नियंत्रण की ही बात है, उन्होंने ही यह कीमत निश्चित की है—तो हम उस में कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बड़े कारख़ानों का सम्बन्ध है, वहाँ किसी भी किसान को स्टेट एडवाइज्ड प्राइस से कम नहीं मिला है।

श्रीधरी बलबीर सिंह : जनता पार्टी की पार्लियामेंटरी पार्टी की मीटिंग में लोगों ने कहा था कि गुड़ को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाये। सरकार ने इस में एक महीने की देर कर दी। अब बाहर की मंडियों में उस की ज़रूरत नहीं है, मगर अब उस के एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी गई है। (अवधान)

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं कहना चाहता हूँ कि गुड़ की खपत दुनिया में बहुत कम है। इसमें एक महीना आगे पीछे से कोई अन्तर नहीं पड़ने वाला है। जो गुड़ खाने वाले हैं वे आज भी खा सकते हैं। अगर एक महीना पहले भी इस का एक्सपोर्ट खोल दिया गया होता, तो परिणाम वही होता, जो आज है। (अवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Unless he yields, I cannot give permission to anybody to interrupt him. If he is not yielding, there is no point in interrupting.

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ और मैं चुनौती देता हूँ कि आज भी अगर कोई ठोस सुझाव माननीय सदस्य दें, जिससे किसान की स्थिति सुधर सकती हो, तो मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर माननीय सदस्य इस प्रकार

[श्री भानु प्रताप सिंह]

का कोई सुझाव नहीं देंगे, और केवल आलोचना करेंगे, तो मैं यह निवेदन करूँगा कि आज जो विकट स्थिति है, वह आलोचना से हल नहीं होने वाली है। मैंने बताया है कि जितनी आवश्यकता है, उससे अधिक उत्पादन है— और उस वस्तु का उत्पादन है, जो नहीं रखा जा सकता है, अगर वह गेहूँ की तरह होता, तो हम रख लेते।

श्री केशव राव धोंडगे (नांदेड़): गवर्नमेंट हमारी बात तो सुनती नहीं है। अगर इस बारे में गवर्नमेंट के पास क्या सुझाव है ?

श्री भानु प्रतापसिंह : हमारे पास ये सुझाव हैं कि क्राप प्लानिंग होना चाहिए, ठीक तरह से खेती होनी चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। मुजफ्फरनगर में 52 फ्रीसबी जमीन पर गन्ने की खेती हो रही है। क्या यह उचित तरीका है ? सारे देश में केवल 1.8 फ्रीसबी जमीन पर गन्ने की खेती होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में कुल जमीन के 52 फ्रीसबी में गन्ने की खेती होती है। यह बिलकुल गलत क्राप प्लानिंग है। इस को छोड़ना पड़ेगा। इसके स्थान पर हम दूसरे सुझाव दे सकते हैं। दिल्ली शहर को जितने दूध की जरूरत है, हम उससे आधा भी पैदा नहीं कर पाये। (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not interrupt like that. Do not give running commentary on his speech. Let him put forward his point of view. The discussion is going to continue for another day.

श्री भानु प्रताप सिंह : माननीय सदस्य जो सुझाव देंगे, हम उन का स्वागत करेंगे और उन पर विचार करेंगे, और अगर संभव होगा तो जरूर उन पर अमल भी करेंगे।

खेती का काम बटन दबाने से ठीक नहीं हो सकता है। यह कोई इंडस्ट्री नहीं है कि स्टिच कर दिया, तो प्राडक्शन बन्द हो गया। (व्यवधान)

अन्त में मैं रिसर्च के विषय में भी कुछ कहना चाहता हूँ। एग््रीकल्चरल रिसर्च पर यह आरोप है कि उसके फलस्वरूप इस देश में पदावार नहीं बढ़ी है। एक तो यह आरोप गलत है। लेकिन इस के पहले मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि रिसर्च के नतीजे रिसर्च करने वालों पर निर्भर नहीं है। उसका अप्लीकेशन उन पर निर्भर नहीं है। फेराडे ने बिजली का आविष्कार कम से कम डेढ़ सौ वर्ष पहले किया था और आज भारत में सिर्फ 36 प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंची है तो क्या उस में उन बिजली के आविष्कारकों का कोई दोष था ? आज मैं यह पूरे दावे के साथ और जानकारी के साथ कह सकता हूँ कि कृषि के अनुसन्धान केन्द्रों पर जो जानकारी का एक जखीरा इकट्ठा है अगर उसका आधा भी प्रयोग में आ सके तो यह देश दुनिया में सब से बड़ा फूड एक्सपोर्टर बन सकता है। यह वैज्ञानिकों का दोष नहीं है। जिस प्रकार से मैं ने कहा कि अगर बिजली आज हमारे गांवों में नहीं पहुंच रही है तो उस उसके लिए फेराडे या आज के बिजली के वैज्ञानिक दोषी नहीं है। उसके लिए समाज दोषी है।

एक माननीय सदस्य : समाज या शासन ?

श्री भानु प्रताप सिंह : शासन क्या है, शासन तो समाज का प्रतिबिम्ब है।

किसी हद तक जो रिसर्च के नतीजे हैं व किसानों द्वारा प्रयोग में आएं यह एक्सटेंशन मशीनरी पर निर्भर करेगा। यह इस पर भी निर्भर करेगा कि जो खेती में लगने वाली चीजें हैं वह उसको उपलब्ध हैं या नहीं ? इस पर भी निर्भर करेगा कि जो खेती में पैदा होता है और जो उन को खरीदना पड़ता है उन के मूल्यों का क्या संबंध है ?

कल माननीय तिवारी जी ने जापान का उदाहरण दिया और कोरिया की बात कही। मैं उन की जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जापान में चावल 9 रुपये

प्रति किलोग्राम खरीदते हैं और सस्तिदाइक कर के 7 रुपये प्रति किलोग्राम बेचते हैं। वो वहाँ के किसानों की तुलना और उनकी उपलब्धियों की तुलना वहाँ से करना कहीं तक मुनासिब होगा जब कि हम उन को शायद बेती का खर्चा भी देते पाते हैं या नहीं, यह भी एक शक की बात है। उसके साथ यह भी है कि जापान की अर्ध-अवस्था 9 रुपये किलोग्राम चावल खरीदना सहन कर सकती है, भारत की अर्ध-अवस्था नहीं कर सकती है। आप ने जो आंकड़े पढ़ कर सुनाए थे उन पर जरा आप यह सोचने की कोशिश करें कि वे चीजें किस भाव पर बिकी होंगी तब वह 30 थाउजैंड डालर की ग्रामदनी किसान को हुई। मैं आप को विश्वास दिलाता हूँ कि नौ रुपये प्रति किलोग्राम के बजाय पांच या चार रुपये किलोग्राम भी चावल का दाम करें तो हमारे किसान जापान के किसानों से कम पैदा नहीं करेंगे। लेकिन क्या यह संभव है? क्या आप इस को करवा सकेंगे?

श्री द्वारिका नाथ तिवारी (गोपालगज) : मैंने कल मूल्य ही नहीं कहा था, मैंने कहा था कि वह डेढ़ एकड़ में 18 टन पैदा करते हैं आप के यहाँ क्या होता है?

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि किसान क्या पैदा करता है यह इस पर निर्भर है कि समाज किसानों को क्या देता है। जिस प्रकार से गाय का दूध इस पर निर्भर है कि उसको आप क्या खिलाते हैं इसी प्रकार से किसान क्या पैदा करता है यह इस बात पर निर्भर है कि समाज ने किसानों को क्या दिया। आज समाज में किसानों को भूखा रखा है।

श्री केशव राव धोंडगे : हुकूमत ने क्या दिया ?

श्री भानु प्रताप सिंह : समाज और हुकूमत में अंतर नहीं हुआ करता। (व्यवधान)

श्री केशव राव धोंडगे : समाज ने नहीं दिया तो हुकूमत ने क्या दिया ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not a running commentary. Please take your seat. If he is not yielding, please take your seat.

(Interruptions)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not record.

(Interruptions)**

श्री भानु प्रताप सिंह : यह कहा गया कि उन की रिसर्च का कोई परिणाम नहीं हुआ। तो मैं पिछले दस वर्षों में प्रति हेक्टेयर जो पैदावार में वृद्धि हुई है वह बतलाना चाहता हूँ। 65-66 में गेहूँ की पैदावार 8.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी, वह अब बढ़कर 75-76 में 14.1 हो गई है। वृद्धि लगभग 70 प्रतिशत है। चावल में 8.6 की औसत पैदावार थी 65-66 में, वह बढ़कर 12.3 हो गई है। वृद्धि 43 प्रतिशत है। यह बात ठीक है कि आज भी वृद्धि कर के भी हम दुनिया के दूसरे मुक्तों से पीछे हैं मगर मुझे कोई दूसरा उदाहरण ऐसा नहीं मालूम हुआ है जहाँ दस वर्षों में 70 और 50 प्रतिशत के लगभग प्रति एकड़ पैदावार बढ़ी हो। यह भी कहा गया कि हमारे वैज्ञानिक कुछ नहीं करते हैं तो मैं उदाहरण देना चाहता हूँ...

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : कहा गया कि जो करते हैं उनको दबाया जाता है।

श्री भानु प्रताप सिंह : कोई नहीं दबाता है।

आप केवल पंजाब और पाकिस्तान की तुलना कीजिए। आज पाकिस्तान के गेहूँ में पूरी तरह से रस्ट लगा हुआ है लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इस प्रकार के गेहूँ के बीज निकाले हैं जिनमें रस्ट की बीमारी नहीं लगेगी। आज पाकिस्तान को दो मिलियन

[श्री भानुप्रताप सिंह]

उन गेहूँ खरीदना पड़ेगा अगर वे प्रतिष्ठा पर न चढ़े रहें तो भारत ऐसी स्थिति में है कि इनको दो मिलियन टन गेहूँ दे सकता है। क्या आपको यह अन्तर नहीं दिखाई देता है? दोनों मिलकुल पञ्चमिक के हैं और जलवायु एक है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि वैज्ञानिक कार्यों का मूल्यांकन राजनीतिक या व्यक्तिगत आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। मैंने एक बयान दिया था जिस पर आपत्ति की गई, कहा गया कि मंत्री जी क्यों इसमें धाये। मैं कहना चाहता हूँ जहाँ मन्त्रियों का कर्तव्य है कि उनके विभाग में जो चलत काम करते हैं उनको चला दें वहाँ यह भी उनका कर्तव्य है कि अगर उन पर अनभित धाकण होता है, उनके नीचे के काम करने वालों पर तो उसकी भी सफाई दें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You will have to wind up because at 3-30 we have the non-official business. (Interruptions). There is no clarification needed. At 3.30, we are starting the non-official business. Either the Minister winds up, or I wind up the debate now, and we carry on with the non-official business.

श्री भानु प्रताप सिंह : हम लोग किसानों का भला करना चाहते हैं। मैं यह भी चाहता हूँ कि इसको दलगत संरचना में या उत्तर तथा दक्षिण के हितों की दृष्टि से न देखा जाये। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ हर प्रकार के सुझावों का स्वागत होगा। हमारा उद्देश्य है कि इस देश के किसानों की दशा सुधरे और साथ ही हमारा उत्पादन भी बढ़े। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई भी सुझाव किसी भी स्थान से, किसी भी दल के माननीय सदस्य से आयेगा, उसका स्वागत किया जायेगा।

15.30 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
SEVENTEENTH REPORT

MR. DEPUTY-SPEAKER: We now go on to the Private Members' Business. **Shri Devendra Satpathy.**

SHRI DEVENDRA SATPATHY (Dhenkana): I beg to move:

"That this House do agree with the Seventeenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 18th April 1978."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is.

"That this House do agree with the Seventeenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 18th April, 1978."

The motion was adopted.

HOMOEOPATHY CENTRAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of section 2)

श्री बखाराम शास्त्र (फरसखाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Homoeopathy Central Council Act, 1973"

The motion was adopted.

श्री बखाराम शास्त्र : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।